

130/2022

न्यायालय

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जन

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अपील विद्गे करने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण हो चुका है। हस्तगत अपील प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र खारिज जाने अंतिम आदेश के विरुद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 11/2023 प्रस्तुत की जा चुकी है। इसलिए हस्तगत अपील प्रभाव हीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से जरिये विद्गे खारिज फरमायी जावे।

जवाब में विद्धान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र जरिये विद्गे खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निर्णय हो चुका है। हस्तगत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध है जो प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर